अध्याय-V

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय-V

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

यह अध्याय जाँच करता है कि क्या यूपीसीडा का आंतरिक नियंत्रण तंत्र इसकी गतिविधियों की प्रकृति और आकार के अनुरूप है, ताकि यह परिचालन की दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमनों के अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्रदान कर सके। विशिष्ट रूप से दर्शाये गये प्रमुख विषयों में वार्षिक लेखे तैयार न करना, आयकर छूट का लाभ न उठाना, वेतन समिति के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेतन संशोधन करना, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को असुरक्षित ऋण प्रदान करना, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सावधि जमा में निवेश करना, सावधि जमा रजिस्टर का रखरखाव न करना तथा स्रोत पर कटौती किए गए कर की वापसी का समय पर दावा न करना सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

5.1 आंतरिक नियंत्रण परिचालन की दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमनों के अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनायी गयी एक प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.2 आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधियों/तंत्रों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुई:

वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये

5.2.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश, 2018 के अनुसार, यूपीएसआईडीसी की आस्तियाँ एवं दायित्व यूपीसीडा को अंतरित किए जाने थे। उ.प्र. सरकार की अधिसूचना (04 मार्च 2021), जिसमें लीडा के गठन को निरस्त कर दिया गया था तथा इसके लखनऊ एवं उन्नाव जनपद के अधिसूचित गाँवों को यूपीसीडा में शामिल कर लिया गया था, के अन्तर्गत लीडा की आस्तियाँ एवं दायित्व भी यूपीसीडा को अंतरित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआईडीसी की आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण यूपीसीडा को नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसे अंतरण को प्रभावी करने के लिए, यूपीएसआईडीसी के वर्ष 2014-15 से 26 जून 2018[1] तक के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। इसी तरह, लीडा की आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण यूपीसीडा को नहीं किया गया था, क्योंकि लीडा के वर्ष 2019-20 से 2020-21[2] के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

---

[1] चूँकि, यूपीएसआईडीसीएल (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश, 2018, 27 जून 2018 को जारी किया गया था।

[2] चूँकि, लीडा का अस्तित्व 04 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था।

अग्रेतर, जैसा कि यूपीआईएडी अधिनियम 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत आवश्यक था, यूपीसीडा ने अपनी स्थापना (सितम्बर 2001) से लेकर 31 मार्च 2024 तक वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए थे। यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन भी, विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए, तैयार नहीं किये गये थे।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि यूपीएसआईडीसी के 26 जून 2018 तक के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। एक्स-लीडा के 2018-19 के लेखे तैयार कर लिए गए हैं तथा शेष लेखाओं को तैयार करने की कार्रवाई की जा रही थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि एक्स-लीडा के लम्बित लेखाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि लीडा के वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक लेखाओं को तैयार कर लिया गया हैं और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

तथ्य यथावत रहा कि यूपीएसआईडीसी के लेखे वर्ष 2014-15 से 26 जून 2018[3] तक तथा यूपीसीडा के लेखे स्थापना तिथि से तैयार नहीं किये गये थे। एक्स-लीडा के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिसम्बर 2024 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी नहीं किया था। परिणामस्वरूप, यूपीएसआईडीसी और एक्स-लीडा की आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण यूपीसीडा को लम्बित था। इस कारण, यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 22 के प्रावधानों के अधीन यूपीसीडा के वार्षिक लेखाओं को उ.प्र. सरकार को अग्रेषित नहीं किया जा सका।

संस्तुति संख्या 9

उ.प्र. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूपीएसआईडीसी, एक्स-लीडा और यूपीसीडा के लम्बित वार्षिक लेखाओं को शीघ्रतम अंतिम रूप दिया जाए ताकि यूपीएसआईडीसी और एक्स-लीडा की आस्तियों एवं दायित्वों का यूपीसीडा में विलय हो सके। इसके अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार को यूपीसीडा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

आयकर से छूट का लाभ नहीं उठाया गया

5.2.2 जैसा कि यूपीएसआईडीसी की 231वीं बोर्ड बैठक (दिसम्बर 1999) में चर्चा की गई थी, यूपीएसआईडीसी के यूपीसीडा (एक प्राधिकरण) में 27 जून 2018 से परिवर्तित होने के पश्चात, यूपीसीडा द्वारा आयकर देय नहीं था ताकि इस बचत का निवेश आईए में बेहतर अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने में हो सके।

[3] चूँकि, यूपीएसआईडीसीएल (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश, 2018, 27 जून 2018 को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) ने जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक की अवधि में ₹ 184.43 करोड़ की धनराशि का आयकर जमा किया क्योंकि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अन्तर्गत कर छूट[4] प्राप्त करने में विफल रहा। यह उल्लेख करना उचित है कि केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनार्थ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को अधिसूचित[5] किया था।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2023) कि कर सलाहकार को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाया जा सके। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि अग्रिम कर अनंतिम लेखाओं के आधार पर जमा किया जा रहा था। आयकर विभाग ने मात्र इसी आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए कर का निर्धारण किया था। आयकर सलाहकार को, आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने इसकी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

वेतन समिति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेतन संशोधन

5.2.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ.प्र. सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों में वेतन समिति, 2016 (पीसी 2016) की संस्तुतियों को लागू करने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन, कि तीन वर्षों (2012-13, 2013-14 और 2014-15) के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा की गयी हो और वार्षिक साधारण अधिवेशनों में लेखाओं को अंगीकृत किया गया हो, प्रदान (3 जनवरी 2017) की।

आईआईडीडी ने यूपीएसआईडीसी के वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति, उ.प्र. सरकार के आदेश दिनांक 3 जनवरी 2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन जारी की (19 मार्च 2018)। यूपीएसआईडीसी ने दिनांक 3 जनवरी 2017 के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन, पीसी, 2016 की संस्तुतियों को लागू करने के लिए कार्यालय आदेश जारी किया (9 अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभावी तिथि (1 जनवरी 2016) से पूर्व के दो वर्षों[6] (2013-14 और 2014-15) के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा, न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों /महालेखाकार द्वारा की गई थी और न ही वेतन संशोधन के लागू होने (9 अप्रैल 2018) के समय ,वार्षिक साधारण अधिवेशनों में उन्हें अंगीकृत

---

[4] आवेदन द्वारा।

[5] 23 जून 2020 (जीनीडा) और 24 दिसम्बर 2020 (यीडा)।

[6] वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 28 मई 2018 को प्रमाणित किए गए थे तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियाँ 30 अप्रैल 2019 को जारी की गईं तथा सांविधिक लेखापरिक्षकों द्वारा वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे 31 मार्च 2024 तक प्रमाणित नहीं किए गए थे।

किया गया था। तथापि, यूपीएसआईडीसी ने अपने स्वयं के आदेश और उ.प्र. सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जिसमें स्पष्ट रूप से शर्तों के पूरा होने पर ही वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करना नियत था, वेतन संशोधनों को लागू किया और वित्तीय लाभ जारी किए।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2023) कि वेतन समिति के समक्ष अनंतिम लेखे प्रस्तुत किए गए थे। इस पर विचार करते हुए, उ.प्र. सरकार ने, यूपीएसआईडीसी में वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने का आदेश दिया। यूपीएसआईडीसी ने उ.प्र. सरकार के आदेशों का पालन किया और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया। उ.प्र. सरकार ने सितम्बर 2023 में प्रबंधन के उत्तर को ही पुनः दोहराया (जुलाई 2024)। तथापि, यूपीसीडा/उ.प्र. सरकार ने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को असुरक्षित ऋण प्रदान करना

5.2.4 उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा को, यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड (यूपीएसएससीएल) को ₹ 2.84 करोड़ की धनराशि का ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019) ताकि यूपीएसएससीएल, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के ऋण का भुगतान कर सके। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा को, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) को ₹ 50 करोड़ की धनराशि का ऋण देने का निर्देश दिया (फरवरी 2020) ताकि सिडबी के बकाया देयताओं के एकमुश्त निपटान की अग्रिम राशि का भुगतान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसएससीएल दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अन्तर्गत चूककर्ता था और इसकी आस्तियों पर सम्बन्धित प्रतिबंध थे। यूपीएफसी की आस्तियां ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेशों के अन्तर्गत जब्त कर ली गई थी। यूपीसीडा ने इन संस्थाओ के साथ बिना किसी ऋण अनुबंध के, इन दोनों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 52.84 करोड़[7] का असुरक्षित ऋण प्रदान किया। उ.प्र. सरकार ने विनिर्दिष्ट किया (28 जुलाई 2020) कि यूपीएफसी को ऋण 8 प्रतिशत त्रैमासिक रूप से देय ब्याज की दर के अधीन होगा और मूलधन की अदायगी दो वर्ष बाद से प्रारम्भ होगी। यूपीएसएससीएल को दिए गए ऋण के लिए ऐसे कोई नियम एवं शर्ते विनिर्दिष्ट नहीं किए गए थे। यूपीसीडा ने यूपीएफसी को डिमांड नोटिसें जारी की लेकिन ब्याज और मूलधन की किस्तों का भुगतान बकाया रहा। यूपीएसएससीएल से कोई वसूली प्रारम्भ नहीं की गई थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान यूपीसीडा ने बताया कि उ.प्र. सरकार के निर्देशों के अनुसार ऋण प्रदान किये गए थे। दोनों कंपनियों से ऋण धनराशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, अभी तक कोई धनराशि वसूल नहीं की गई है।

---

[7] 23 जनवरी 2020 को यूपीएसएससीएल को ₹ 2.85 करोड़ और 18 मार्च 2020 को यूपीएफसी को ₹ 50 करोड़।

उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीएसएससीएल, यूपीएफसी और यूपीसीडा राज्य सरकार की संस्थाएं हैं। इस कारण यूपीसीडा के लिए उसके निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और यूपीसीडा वही कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीसीडा द्वारा अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना ऋण प्रदान किए गए थे। यह उल्लेख करना उचित है कि उ.प्र. सरकार ने यूपीएफसी को ₹ 30 करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने के लिए कहा था (जनवरी 2023)। तथापि, यूपीसीडा ने, यूपीएफसी को पूर्व में जारी ₹ 50 करोड़ के ऋण के अशोध्य ऋण में परिवर्तित हो जाने की संभावना के दृष्टिगत, यूपीएफसी को ₹ 30 करोड़ का अतिरिक्त ऋण जारी नहीं किया और उ.प्र. सरकार से, यूपीसीडा के हित में, मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

उ.प्र. सरकार के ₹ 41 करोड़ के बकाया ऋण पर ब्याज का बढ़ता भार

5.2.5 एक्स-लीडा ने विकास गतिविधियों के निष्पादन हेतु, उ.प्र. सरकार से अल्पावधि ऋण के रूप में ₹ 41 करोड़ प्राप्त किए (अक्टूबर 2005 से मार्च 2008 तक), जिसे 18 से 19 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से, दण्डात्मक ब्याज सहित, यदि देय हो तो, पाँच वर्षों के अन्दर पुनर्भुगतान करना था।

एक्स-लीडा ने उ.प्र. सरकार से ऋण को सीड पूँजी में परिवर्तित करने अथवा इसे ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करते हुए पुनर्भुगतान अवधि को आठ वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध[8] किया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया (जुलाई 2007)। एक्स-लीडा ने पुनः, उ.प्र. सरकार से ऋण पर ब्याज दर को शून्य प्रतिशत तक या बचत बैंक खाते पर लागू ब्याज दर के बराबर कम करने का अनुरोध[9] किया। उ.प्र. सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा द्वारा मूलधन राशि और ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को ₹ 41 करोड़ की ऋण राशि पर ₹ 132.49 करोड़ का बकाया ब्याज का दायित्व बन गया।

उपरोक्त प्रकरण पर, सीएजी के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक उपक्रम) में पहले ही टिप्पणी की जा चुकी थी। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (सितम्बर 2023) और बताया कि ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। उच्च स्तर पर निर्णय के उपरांत, ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा और राज्य सरकार से, ब्याज की धनराशि को माफ करने का

[8] जुलाई 2006 से फ़रवरी 2007 के दौरान।
[9] अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान।

अनुरोध किया जाएगा। उ.प्र. सरकार ने अपने उत्तर में (जुलाई 2024), लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर कोई टिप्पणी नहीं की।

नोएडा ऋण के पुनर्भुगतान शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया

5.2.6 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने, यूपीएसआईडीसी को ₹ 450 करोड़ का ऋण 10.20 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से जिसका भुगतान त्रैमासिक आधार पर देय था, अवमुक्त[10] किया। एक वर्ष की स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद, मूलधन राशि, बारह समान तिमाही किस्तों में पुनर्भुगतान की जानी थी। टर्म लोन के ऋण अनुबंध के अनुसार, पुनर्भुगतान में चूक की दशा में अतिरिक्त 3 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज देय था। अग्रेतर, यूपीएसआईडीसी ने अन्य नियमों एवं शर्तों जिन्हें नोएडा द्वारा समय-समय पर संस्वीकृति पत्र में या अन्यथा नियत किया जा सकता था, को स्वीकृत किया।

नोएडा ने 1 अप्रैल 2018 से ब्याज दर को 10.20 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया (जुलाई 2018)। तत्पश्चात, नोएडा ने, ऋण के वितरण की तिथि से सरकारी प्रतिभूतियों[11] पर देय साधारण ब्याज वसूलने और कोई दण्डात्मक ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूलने के अपने बोर्ड के निर्णय से यूपीसीडा को अवगत कराया (दिसम्बर 2020)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) ने समझौता ज्ञापन की पुनर्भुगतान नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ब्याज का पुनर्भुगतान तत्काल त्रैमासिक देय था और मूलधन राशि स्थगन अवधि के बाद बारह समान त्रैमासिक किस्तों में चुकानी थी। यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) ने दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 के दौरान, नोएडा को भुगतान किए गए ₹ 450 करोड़ को मूलधन का पुनर्भुगतान और अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 के दौरान, भुगतान किए गए ₹ 132.55 करोड़ को ब्याज का भुगतान माना।

तदनुसार, नोएडा ने यूपीसीडा द्वारा पहले मूलधन और उसके बाद ब्याज के समायोजन पर आपत्ति जताई (मार्च 2024)। इसने दिसम्बर 2020 में नोएडा के निर्णय के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों[12] पर देय साधारण ब्याज लगाने के स्थान पर यूपीसीडा द्वारा ऋण वितरण की तिथि से 31 मार्च 2018 तक 8.016 प्रतिशत[13] की दर से और 1 अप्रैल 2018 से 8 प्रतिशत[14] की दर से ब्याज लगाने पर भी, आपत्ति जताई। नोएडा ने यूपीसीडा से ₹ 582.55 करोड़[15] के पहले से किये गये भुगतान के अतिरिक्त, मूलधन के रूप में ₹ 15.05 करोड़

[10] 22 अक्टूबर 2014 को 350 करोड़ और 20 नवम्बर 2014 को ₹100 करोड़।
[11] वार्षिक लागू।
[12] वार्षिक लागू।
[13] 2014 से 2018 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की औसत दर।
[14] नोएडा द्वारा जुलाई 2018 में सूचित।
[15] ₹ 450 करोड़ +₹ 132.55 करोड़।

और ब्याज के रूप में ₹ 4.63 करोड़ का बकाया होने का दावा किया। नोएडा का ₹ 19.68 करोड़[16] का दावा 31 मार्च 2024 तक बकाया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने प्रेक्षण को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि तदनुसार ऋण का पुनर्भुगतान किया जायेगा। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि दोनों प्राधिकरणों के बीच ऋण समायोजन सम्बन्धी विसंगति थी। सरकार के निर्देशानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सावधि जमा में निवेश

5.2.7 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 20 (3) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार के किसी भी निर्देश के अधीन, प्राधिकरण अपने कोषों में से उतनी धनराशि किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में रख सकता है, जितनी वह अपनी अपेक्षित वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे और किसी भी अधिशेष धनराशि को उस तरीके से निवेश कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। उ.प्र. सरकार ने भी यह निर्देश दिया (23 फरवरी 2016) कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के बोर्ड, बैंक खाते खोलने और अधिशेष कोषों को उनको शासित करने वाले नियमों/प्रावधानों के अनुरूप, निवेश करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार, यूपीसीडा बोर्ड ने अपनी 36वीं बैठक (सितम्बर 2020) में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के जमा खातों में अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए दिशानिर्देश तैयार किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा ने उपरोक्त दिशानिर्देशों में वर्णित बैंकों के वित्तीय मापदण्डों का आकलन किए बिना, कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सावधि जमा खातों में अधिशेष निधि का निवेश[17] किया। निवेश के लिए एक शर्त यह थी कि बैंकों ने तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों में लाभ घोषित किया हो। तथापि, यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो पिछले तीनों वित्तीय वर्षों से हानियों में थे, ₹ 57.23 करोड़, निवेश किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-5.1** में वर्णित है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि यह एक सरकारी निकाय है और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्चतम ब्याज दर प्राप्त करने के बाद सावधि जमा की गयी थी। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च ब्याज दरों पर निवेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त निवेश, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश दिशानिर्देश के अनुसार अनुमन्य नहीं था।

---

[16] ₹ 15.05 करोड़ + ₹ 4.63 करोड़।

[17] वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान।

सावधि जमा रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया

5.2.8 लेखापरीक्षा ने देखा कि समय-समय पर सावधि जमा में किए गए निवेश पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सावधि जमा रजिस्टर का रखरखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि के लिए सावधि जमा रजिस्टर का उचित रखरखाव शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि निवेश के विवरण का रखरखाव कंप्यूटर में किया गया था। भविष्य के निवेश के लिए सावधि जमा रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिए गए है।

संस्तुति संख्या 10

यूपीसीडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित सावधि जमा रजिस्टर का डिजिटाइजेशन शीघ्रातिशीघ्र तैयार किया जाए तथा उसका हर समय अनुश्रवण किया जाए। उ.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार निधि निवेश नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

समय पर टीडीएस की वापसी का दावा नहीं किया गया

5.2.9 एक्स-लीडा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 एए के अन्तर्गत पंजीकृत था और उसे संपत्ति और योगदान पर आयकर से छूट प्राप्त थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक्स-लीडा से सम्बन्धित ₹ 44 करोड़ मूल्य की सावधि जमाओं पर बैंक ने एक्स-लीडा के स्थायी खाता संख्या (पैन) में सुधार और मैपिंग समस्या के कारण ₹ 60.33 लाख स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में काट लिए (अगस्त 2019)। यूपीसीडा (एक्स-लीडा सहित), तथापि समय पर दावा करने और आयकर प्राधिकारियों से ₹ 60.33 लाख की वापसी प्राप्त करने में विफल रहा। यूपीसीडा ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद (अगस्त 2022) ही आयकर आयुक्त को मार्च 2024 में टीडीएस की वापसी का दावा करने में विलम्ब की माफी के लिए आवेदन किया। तथापि, वापसी दिसम्बर 2024 तक लम्बित थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि आयकर प्राधिकारियों से टीडीएस की वापसी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि बैंक ने लीडा द्वारा निवेश की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज से कर काट लिया, जबकि लीडा को आयकर से छूट प्राप्त है। यूपीसीडा ने आयकर विभाग से काटी गई धनराशि की वापसी की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयकर सलाहकार नियुक्त किया है।

निष्कर्ष

यूपीसीडा ने अपनी स्थापना के समय से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये थे तथा यूपीएसआईडीसी और एक्स-लीडा के वार्षिक लेखाओं के तैयार न होने के कारण इन संस्थाओं की आस्तियाँ एवं दायित्व यूपीसीडा को अंतरित नहीं की गईं थी। यूपीसीडा को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अन्तर्गत छूट प्राप्त न करने के कारण, ₹ 184.43 करोड़ आयकर के रूप में जमा करने पड़े। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण समझौते किये बिना ₹ 52.84 करोड़ की असुरक्षित ऋण राशि प्रदान की गई। निष्क्रियता के कारण 31 मार्च 2024 को, ₹ 41 करोड़ की ऋण धनराशि पर ₹ 132.49 करोड़ का संचित ब्याज बकाया था। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, पूर्व के तीनों वित्तीय वर्षों से हानियों में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ₹ 57.23 करोड़ का निवेश, किया गया। ₹ 60.33 लाख की टीडीएस धनराशि की वापसी का दावा समय पर नहीं किया गया। आंतरिक नियंत्रण ने परिचालन की दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों एवं विनियमनों के अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्रदान नहीं किये।

लखनऊ
दिनांक: 12 जनवरी 2026

(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 14 JAN 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक